भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 187

02 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

चीनी मिल मालिकों के लिए ब्याज मुक्त ऋण/सब्सिडी

187. श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

श्री कुलदीप राय शर्माः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में चीनी मिल मालिकों को ब्याज मुक्त ऋण/सब्सिडी प्रदान करती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई निधि की मात्रा और उक्त निधि को प्रदान करने के प्रयोजन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात हेतु चीनी मिलों को 3500 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(घ) इस सब्सिडी से महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितने ईख उगाने वाले किसानों को लाभ होने वाला है; और

(ड.) सरकार द्वारा निधि का समय पर अंतरण की निगरानी करने और किसानों द्वारा इसके उपयोग हेतु कौन सा तंत्र बनाया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने और उन्हें किसानों की गन्ना मूल्य देयता का भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने समय-समय पर कई पहलें शुरू की हैं। पिछले 3 चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम के दौरान विभिन्न उपायों के अधीन चीनी मिलों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

चीनी मौसम 2017-18:

(i) गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2017-18 हेतु पेराई किए गए गन्ने के लिए 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दी गई थी और इस स्कीम के अधीन लगभग 430 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी।

.....2/-

(ii) चीनी मौसम 2017-18 में चीनी मिलों के बीच 30 लाख टन के बफर स्टॉक का आवंटन किया गया था, जिसके लिए सरकार ने बफर स्टॉक के रखरखाव के प्रति 780 करोड़ रुपये की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया था।

चीनी मौसम 2018-19

i. "इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और इसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्कीम" नामक स्कीम के अधीन चीनी मिलों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की गई। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से अथवा बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दर की 50%, जो भी कम हो, की दर पर ब्याज छूट, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण के प्रति एक वर्ष के स्थगन काल सहित पांच वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

ii. गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2018-19 हेतु पेराई किए गए गन्ने के लिए 13.88 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दी गई थी और इस स्कीम के अधीन लगभग 3000 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी।

iii. चीनी मौसम 2018-19 में देश से चीनी के निर्यात की सुविधा करने के लिए आंतरिक परिवहन, माल भाड़ा, हैंडलिंग और अन्य प्रभारों के प्रति व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दी गई थी और इस स्कीम के अधीन लगभग 900 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था।

iv. बैंकों के जरिए चीनी मिलों को 7402 करोड़ रुपये का सुगम ऋण दिया गया था जिसके लिए सरकार एक वर्ष हेतु 7% की दर पर लगभग 518 करोड़ रुपये की ब्याज छूट वहन करेगी।

चीनी मौसम 2019-20

(i) चीनी मिलों के बीच 01 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख टन बफर स्टॉक का आवंटन किया था, जिसके लिए सरकार ने बफर स्टॉक के रखरखाव के प्रति 1674 करोड़ रुपये की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया था।

(ii) चीनी मौसम 2019-20 में 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर खर्च हेतु 10448 रुपये प्रति टन की दर से चीनी मिलों को सहायता प्रदान की गई थी, जिसके लिए सरकार द्वारा 6288 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय वहन किया जाएगा।

.....3/-

चीनी मौसम 2020-21

(i) चीनी मौसम 2020-21 में 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर खर्च हेतु 6000 रुपये प्रति टन की दर पर चीनी मिलों को सहायता प्रदान की गई थी जिसके लिए सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय वहन किया जाएगा ताकि ताकि चीनी का निर्यात सुगम बनाया जा सके।

(ख) और (ग): चीनी मौसम 2020-21 के दौरान, देश से अतिरिक्त चीनी के निर्यात को सुगम बनाने और इससे चीनी मिलों की नकदी स्थिति में सुधार करने, ताकि वे किसानों की गन्ना मूल्य देयता का भुगतान करने में समर्थ हो सकें, की दृष्टि से केंद्र सरकार ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य प्रोसेसिंग लागतों तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन लागतों तथा मालभाड़ा प्रभारों सहित विपणन लागतों पर चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 29.12.2020 को एक स्कीम अधिसूचित की है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 3500 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया जाना है।

(घ): देश में लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान अपने परिवार सहित हैं, जिन्हें चीनी क्षेत्र के लिए विभिन्न स्कीमों से लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रत्येक स्कीम के अधीन लाभान्वित किसानों की संख्या के बारे में सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ड.): यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहायता किसानों के खाते में सीधे जमा की जाती है, चीनी मिलों को राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में अलग से नो-लियन खाता खोलना होगा और उक्त बैंक को बैंक खातों के ब्यौरे सहित किसानों की सूची और चीनी मौसम 2020-21 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य देयता की सीमा तथा पिछले चीनी मौसम का गन्ना मूल्य बकाया भेजना होगा, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/शर्करा निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा। बैंक गन्ना देयता बकाया के प्रति मिलों की ओर से किसानों के खाते में सहायता की राशि जमा करेगा और बाकी शेष राशि, यदि कोई हो, मिल के खाते में जमा की जाएगी। संबंधित चीनी मिल द्वारा राजसहायता जारी करने की तारीख से तीन माह के भीतर संबंधित गन्ना आयुक्त/निदेशक (शर्करा) से विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि इस प्रकार जारी की गई राजसहायता का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है।

*****